संख्या-124/2017/2726/71-1-2017-जी-202/2016

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 नवम्बर, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित उपकरणों के अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2017/436, दिनॉक 01-09-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित उपकरणों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार मेडिकल कालेजों हेतु "अनुरक्षण" मद में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 12,24,92,033.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 6,00,44,161.00 (रू0 छः करोड़ चौवालीस हजार एक सौ इकसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	**धनराशि, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।**
1	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	1,55,18,922.00
2	मेडिकल कालेज, कानपुर	2,36,38,759.00
3	मेडिकल कालेज, जालौन	90,59,593.00
4	मेडिकल कालेज, कन्नौज	1,18,26,887.00
	योग-	6,00,44,161.00

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय -समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है। भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः- 124/2017/2726(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कानपुर, जालौन तथा कन्नौज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कानपुर, जालौन तथा कन्नौज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, कानपुर, जालौन तथा कन्नौज।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।